



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक 12.03.2025

थाना खेकडा पुलिस व स्वाट बागपत की संयुक्त टीम ने चैकिंग के दौरान अन्तर्राज्यीय टावर चोर गिरोह के 09 अभियुक्तों को बाद पुलिस मुठभेड़ (02 घायलावस्था) में किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 14 आर0आर0यू0, 5 आर0आर0यू0 कवर , 08 बेसबैण्ड प्लेट , 36 बेसबैण्ड फैन (कीमत लगभग 01 करोड रुपये), 01 शिकन्जा धातु लोहा , 02 ब्लेड, 02 चाबी व 01 पाना धातु लोहा व 02 अवैध देशी तमंचा .315 बोर मय 02 जिंदा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर, घटना में प्रयुक्त एक गाडी मारुति अर्टिका (बिना नम्बर प्लेट) बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस एवं स्वाट बागपत की संयुक्त टीम द्वारा चैकिंग के दौरान अन्तर्राज्यीय टावर चोर गिरोह के 09 अभियुक्तों को बाद पुलिस मुठभेड़ (02 घायलावस्था) में गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 14



आर0आर0यू0, 5 आर0आर0यू0 कवर , 08 बेसबैण्ड प्लेट , 36 बेसबैण्ड फैन (कीमत लगभग 01 करोड रुपये), 01 शिकन्जा धातु लोहा , 02 ब्लेड, 02 चाबी व 01 पाना धातु लोहा व 02 अवैध देशी तमंचा .315 बोर मय 02 जिंदा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर, घटना में प्रयुक्त एक गाडी मारुति अर्टिका (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुई है ।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 88/25 धारा 109/317(5)/317(2)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया है एवं आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता -

- 1-फैसल उर्फ शानू पुत्र इरशाद निवासी अशोक विहार थाना लोनी जनपद गाजियाबाद । (घायल)
- 2-अमन पुत्र शाहबुद्दीन निवासी अशोक विहार थाना लोनी जनपद गाजियाबाद । (घायल)
- 3-सूरज पुत्र रामजीवन सिंह निवासी शालीमार गार्डन थाना साहिवाबाद जनपद गाजियाबाद ।
- 4-शिवम पुत्र सन्तोष निवासी शालीमार गार्डन थाना साहिवाबाद जनपद गाजियाबाद ।
- 5-साकिर पुत्र दिलशाद निवासी अशोक विहार थाना लोनी जनपद गाजियाबाद ।
- 6-शाहरुख पुत्र नूरहसन निवासी ग्राम पाली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 7-इकरामुद्दीन उर्फ रामू पुत्र कल निवासी पतला जारण थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद।
- 8-फरमान पुत्र जाकिर अली निवासी अशोक विहार थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।
- 9-साजिद पुत्र इकवाल निवासी अशोक विहार थाना लोनी जनपद गाजियाबाद ।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि उन्होंने जनपद बागपत, गाजियाबाद, बुलन्दशहर व दिल्ली में अलग-अलग मोबाईल टावरों से चोरी की घटनाएं कारित की हैं ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

1-सूरज पुत्र रामजीवन सिंह -

- 1-मु0अ0सं0 09/25 धारा 109/190/191(2)/191(3)/324(4)/351(3)/352 बीएनएस थाना शालीमार गार्डन जनपद गाजियाबाद ।
- 2- मु0अ0सं0 641/24 धारा 125/190/191(2)/191(3)/324(4)/324(5) बीएनएस थाना शालीमार गार्डन जनपद गाजियाबाद ।
- 3- मु0अ0सं0 136/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2- साकिर पुत्र दिलशाद-

- 1-मु0अ0सं0 193/24 धारा 379/411 भादवि थाना अंकुर विहार जनपद गाजियाबाद ।
- 2-मु0अ0सं0 369/23 धारा 323/341/392/504 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 3-मु0अ0सं0 387/23 धारा 307/398/401/414 भादवि व 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 4- मु0अ0सं0 136/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

3- फैसल उर्फ शानू पुत्र इरशाद-

- 1-मु0अ0सं0 369/23 धारा 323/341/392/504 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 2-मु0अ0सं0 387/23 धारा 307/398/401/414 भादवि व 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 3- मु0अ0सं0 136/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

4- शाहरुख पुत्र नूरहसन-

- 1-मु0अ0सं0 51/20 धारा 307/323/504 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 2-मु0अ0सं0 136/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 14 आर0आर0यू0, 5 आर0आर0यू0 कवर , 08 बेसबैण्ड प्लेट , 36 बेसबैण्ड फैन (कीमत लगभग 01 करोड रुपये)
- 01 शिकन्जा धातु लोहा , 02 ब्लेड, 02 चाबी व 01 पाना धातु लोहा ।
- 02 अवैध देशी तमंचा .315 बोर मय 02 जिंदा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर।
- घटना में प्रयुक्त एक गाडी मारुति अर्टिका (बिना नम्बर प्लेट)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री कैलाश चन्द्र थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 2-प्रभारी स्वाट श्री सूर्यदीप सिंह जनपद बागपत ।
- 3-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 4-उ0नि0 श्री अबरार हुसैन थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 5-उ0नि0 श्री सनुज कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 6-उ0नि0 श्री संजय सिंह पुनिया थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 7-उ0नि0 श्री भुवनेश्वर कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 8-उ0नि0 श्री सुजीत कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 9-है0का0 धर्मेन्द्र कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 10-है0का0 प्रवीन कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 11-उ0नि0 सतीश कुमार स्वाट टीम जनपद बागपत ।
- 12-है0का0 489 सुनील कुमार स्वाट टीम जनपद बागपत ।
- 13-है0का0 681 दीपक कुमार स्वाट टीम जनपद बागपत ।
- 14-है0का0 680 अमरजीत स्वाट टीम जनपद बागपत ।
- 15-का0 25 राजीव कुमार स्वाट टीम जनपद बागपत ।
- 16-का0 375 मोनू शर्मा स्वाट टीम जनपद बागपत ।
- 17-का0 403 निति त्यागी स्वाट टीम जनपद बागपत ।
- 18-का0 402 विशाल पुनिया स्वाट टीम जनपद बागपत ।
- 19-का0 478 अजीत कुमार स्वाट टीम जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक 12.03.2025

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान थाना कोतवाली बागपत के मु0अ0सं0 122/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में वांछित व 5000 रुपये के ईनामिया अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 02 अवैध पिस्टल .32 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान थाना कोतवाली बागपत के मु0अ0सं0 122/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में वांछित व 5000 रुपये के ईनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार



किया गया है, जिसके कब्जे से 02 अवैध पिस्टल .32 बोर बरामद हुई हैं ।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 86/25 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- दिनांक 03.03.2025 को थाना कोतवाली बागपत पुलिस व सर्विलांस सैल की संयुक्त टीम द्वारा मु0अ0सं0 122/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनके कब्जे से 08 अवैध पिस्टल बरामद हुई थी ।

महत्वपूर्ण सूचना- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाए यदि कोई ऐसा प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

नवीन उर्फ विवेक पुत्र मुकेश निवासी सोनिया विहार थाना सोनिया विहार दिल्ली ।

बरामदगी का विवरण

- 02 अवैध पिस्टल .32 बोर ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 122/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत

। **(5000 रुपये का ईनाम)**

2-मु0अ0सं0 496/21 धारा 307/452/34 भादवि व 27/54/59 आर्म्स एक्ट थाना कालका जी दिल्ली ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री कुलजीत सिंह थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

2-है0का0 516 सतेन्द्र गिरि थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

3-है0का0 599 सचिन कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना दोघट

दिनांक 12.03.2025

थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विजय पुत्र पुष्पेन्द्र निवासी ग्राम भडल थाना दोघट जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० ब्रजेश पौनिया थाना दोघट जनपद बागपत ।

2-का० 1055 सुचेन्द्र कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना दोघट

दिनांक 12.03.2025

थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं ऑपरेशन शस्त्र के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुए हैं ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

टिंकू पुत्र नेत्रपाल निवासी ग्राम भडल थाना दोघट जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 युवनीश कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 हरवीर सिंह थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 105 नीतू सिंह थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 4-है0का0 241 विजय कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना दोघट

दिनांक-12.03.2025

थाना दोघट पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

कृष्णपाल पुत्र लखपत निवासी ग्राम आदमपुर थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 सौम्य कृष्णात्रेय थाना दोघट जनपद बागपत ।

2-का0 951 पिताम्बर कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक 12.03.2025

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध पिस्टल .32 बोर व एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 01 अवैध पिस्टल .32 बोर व 01 अवैध तमंचा .315 बोर बरामद हुए हैं ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 87/25 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही हैं ।

महत्वपूर्ण सूचना- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाए यदि कोई ऐसा प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शिवा पुत्र नरेश निवासी ग्राम कानोली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण

- 01 अवैध पिस्टल .32 बोर व 01 अवैध तमंचा .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री कपिल कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।

2-उ0नि0 श्री महेन्द्र प्रकाश शर्मा थाना खेकडा जनपद बागपत ।

3-है0का0 337 अमित कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।

4-है0का0 398 अनुज कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना सिंघावली अहीर

दिनांक-12.03.2025

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तंमचा .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तंमचा .315 बोर बरामद हुआ है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 85/25 धारा 3/25 ए एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचना- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाए यदि कोई ऐसा प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आबाद पुत्र अलीहसन निवासी ग्राम गौसपुर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 पुलकित सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 223 सचिन कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 3-का0 579 कौशल शर्मा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

